न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद, जिला – प्रतापगढ

ठासीन अधिकारी – डॉ. कुलराज मीणा (R.A.S.)

करण संख्या – 145/2008

दायर दिनांक :– 02–08–2008

निर्णय दिनांक :– 23-5-18

वेच्छा उर्फ बारजी पिता जीवाला भील आयु 60 वर्ष निवासी कालापानी तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ राज.

– वादी

–:: बनाम ::–

01. श्री प्रभुलाल पिता भीमाजी जाति मीणा आयु 35 वर्ष पेशा काश्तकार निवासी पीपलीपाडा हाल मुकाम धडमगरा
02. श्री जीवनलाल पिता भीमा जाति मीणा आयु 30 वर्ष पेशा काश्तकार निवासी पीपलीपाडा थाना सैलाना (म0प्र0)
03 वेला बाई पिता भीमा जाति भील आयु 28 वर्ष पति कचरूलाल भील निवासी केलगर तहसील सैलाना (म0प्र0)
04 जमना बाई पिता भीमा भील आयु 25 वर्ष पति कल्हैयालाल निवासी रतलाम (म0प्र0)
05 छगन बाई पिता भीमा भील आयु 23 वर्ष पति कैलाश भील निवासी निनोर तहसील अरनोद
06 रूपा बाई बेवा भीमा जाति भील आयु 60 वर्ष निवासी पीपलीपाडा हाल पत्नि अमरा मीणा हाल नि0 नई आबादी दलोट तहसील अरनोद
07 तहसीलदार, अरनोद जिला प्रतापगढ (राज0)

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0टी0 एक्ट

प्रकरण सं0 106/03

तारीख निर्णय – 20–12–2006

प्रार्थना पत्र

प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–9 नियम –13

उपस्थित :– 1– श्री अर्जुन वैष्णव अभिभाषक प्रार्थीगण

2– श्री रमेशचन्द्र शर्मा अभिभाषक अप्रार्थीगण

–:: निर्णय :–

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश –9 नियम –13 जाप्तादीवानी के तहत निम्न विरूद्ध अप्रार्थीगण का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 20–12–2006 को पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 28–06–2007 को हुई व प्रतिवादीगण ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर डिक्री व निर्णय व समस्त आदेशों की नकलें ली तब प्रतिवादीगण को जानकारी हुई कि उनके विरूद्ध एक निर्णय व डिक्री पारित हुई है। यह है कि दिनांक 14–12–2006 को प्रतिवादी क्रमांक –6 रूपाबाई काफी बीमार थी व अन्य प्रतिवादीगण उसके ईलाज में व्यस्त थे इस कारण दिनांक 14–12–2006 की पेशी पर उपस्थित नहीं हुए। यह है कि दिनांक 14–12–2006 की आदेशिका इस्पीकिंग नहीं है क्योंकि न्यायालय ने प्रतिवादीगण के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश पारित किया है। एक पक्षीय कार्यवाही करने का आदेश नहीं दिया है। न्यायालय ने प्रतिवादीगण के वकील साहिबान की पुकार नहीं कराई गई। आदेशिका के पूर्व वकील प्रतिवादीगण न्यायालय में गए जब वकील वादी ने न्यायालय के समक्ष यह कहा कि वादी व उसके गवाहान हाजिर नहीं है। वे आज हिदायत

पैरवी नहीं होना जाहिर करेंगे। जब वकील प्रतिवादीगण चले गए। बाद में वकील वादी से मिल
प्रतिवादीगण के वकील साहिबान ने की आवाज लगाई गुपचुप बयान ले लिए व तारीख 19–12–20
की गई। यह है कि दिनांक 14–12–2006 को वकील प्रतिवादीगण तारीख पेशी हेतु गए तो रीड
बताया कि पत्रावली पीठासीन अधिकारी के पास हस्ताक्षर हेतु गई है। उसके बाद बार–बार जाने पर
नहीं बताई गई और दिनांक 20–12–2006 तक सब कुछ गुपचुप रखा। दिनांक 20–12–2006
प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की गई है। यह है कि काफी माह बाद खोजबीन करने के बा
दिनांक 20–12–2006 के निर्णय की जानकारी हुई। तब नकल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिवादीगण को
ज्ञान हुआ कि उनके विरूद्ध दिनांक 14–12–2006 को खिलाफ कार्यवाही का आदेश देकर गवाहान के बयान
गुपचुप लेकर रीडर व तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाहियाँ की गई। यह है कि न्यायहित में
प्रतिवादीगण को अपना डिफेंस या बचाव करने हेतु गवाहान से जिरह करना आवश्यक है तथा अपने बचाव में
साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है क्योंकि वादी गलत व्यक्ति है और गलत नाम से वाद लाया है। यह सब
बचाव साक्ष्य से ही साबित हो सकेगा। प्रतिवादीगण को अपने बचाव का हक व अधिकार है। यह कि
न्यायहित में दिनांक 14–12–2006 की आदेशिका व दिनांक 20–12–2006 को पारित निर्णय व डिक्री को
निरस्त किया जाकर प्रकरण में दो पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जाना कानूनन आवश्यक व न्यायोचित
है। यह प्रार्थना पत्र जानकारी दिनांक 28–06–2007 से पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश करके प्रतिवादीगण का
निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण स्वीकार कर दिनांक 14–12–2006 की आदेशिका व दिनांक
20–12–2006 को पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण पुनः नम्बर पर लेकर वादी के गवाहान को
जिरह करने का अवसर प्रदान करने का आदेश न्यायहित में पारित करवावें।

प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी (वेच्छा उर्फ बारजी) को नोटिस जारी किया गया।
अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थनापत्र (आदेश –9 नियम–13) का जवाब दिया। न्यायहित में पत्रावली को पुनः नम्बर पर
लिये जाने के लिए उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ को पत्रावली को तलब करने के लिए लिखा गया। क्योंकि
संबंधित पत्रावली प्रतापगढ कोर्ट में है। दिनांक 14–12–2012 से दिनांक 19–04–2017 तक लगातार पत्रावली
तलब करने के लिए लिखा गया किन्तु पत्रावली तलब नहीं हो पाई।

दिनांक 19–04–2017 अप्रार्थी वादी (वेच्छा) वकील की ओर से प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि
यह कार्यवाही प्रतिवादीगण ने पेश कर रखी है। इसमें विपक्षी वादी वेच्छा है और वेच्छा की मृत्यु हुए 2 व
अधिक हो चुका है। प्रार्थीगण 90 दिन की अवधि में वेच्छा की वारिसान को रिकॉर्ड पर ला सकते थे जो
इन्होंने नहीं किया है। ऐसी स्थिति में यह कार्यवाही अब चलने योग्य नहीं रही है। प्रतिवादीगण–प्रार्थीगण इस
कार्यवाही को अकारण निराधार वर्षों से चला रहे हैं जिसका कोई औचित्य नही है अतः न्यायहित में यह
कार्यवाही निरस्त फरमाई जाए।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के जवाब के लिए प्रतिवादीगण–प्रार्थगण पक्ष को अनेक अवसर दिए। लेकिन कोई
जवाब नहीं दिया। अतः जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस में बताया कि
लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत समय सीमा में कायम मुकाम न केवल पेश करने में असफल रहे अपितु अनेक
अवसर देने पर भी अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का जवाब भी नहीं दिया गया।

प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गई। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के द्वारा न तो कायम
मुकाम पेश किया गया और न ही अनेक अवसर देने के बावजूद भी जवाब दिया गया। अतः स्पष्ट होता है
कि प्रार्थी पक्ष प्रार्थनापत्र को निस्तारण करवाने में कोई रूचि नहीं रखता और कार्यवाही को अकारण निराधार
चलाना चाहता है। अतः प्रार्थी पक्ष डिफॉल्टर है इसलिए अतः प्रार्थी पक्ष का प्रार्थना पत्र (अन्तर्गत आदेश – 9
नियम–13) वेच्छा उर्फ बारजी बनाम प्रभुलाल वगैराह, को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
अरनोद